न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारीः– श्री कमल कुमार मीना R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसल
29 / प्रा0पत्र / 2021	24.03.2021	30.04.2021

श्री करणी क्रेशर प्रा0लि0 जरिये डायरेक्टर रोहित अग्रवाल पुत्र सुरेश कुमार अग्रवाल जाति महाजन निवासी एफ 35, घीया मार्ग, सरदार सिंह अस्पताल के सामने, बनीपार्क, शास्त्री नगर जयपुर (राज0)

.......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0)

.........अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ताप्रार्थीः– श्री अनिल जैन, श्री मुकेश शर्मा
अधिवक्ता अप्रार्थीगणः–

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 136 भू–राजस्व अधिनियम

संक्षेप में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किये किः–

1. यह कि आराजी ख0सं0 2131 / 1867 रकबा 0.8094 हे0, किस्म बंजड ग्राम देवरिया तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है, जिसका खातेदार प्रार्थी है।
2. यह कि प्रार्थी ने उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया है और खरीद के पश्चात से ही भूमि पर खातेदार के रूप में काबिज काश्त करता चला आ रहा है।
3. यह कि प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड में खातेदार के रूप में अंकित अपने नाम भूमि को उपयोग–उपभोग करने का अधिकार प्राप्त है, उसी के अनुसार प्रार्थी भूमि पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है।
4. यह कि प्रार्थी द्वारा जिस जगह पर भूमि को खरीद किया गया है एवं जिस जगह पर प्रार्थी का कब्जा है, उसी के अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज चला आ रहा है।
5. यह कि प्रार्थी को लोन की पत्रावली के लिये जमाबन्दी व राजस्व नक्शे की जरूरत पड़ी तो प्रार्थी द्वारा राजस्व नक्शे की नकल ली गई तब प्रार्थी की जानकारी में आया कि प्रार्थी ने जिस जगह जमीन खरीद की है और जिस जगह पर प्रार्थी खातेदार के रूप में काश्त करता चला आ रहा है। उस आराजी ख0सं0 2131 / 1867 ग्राम देवरिया स्थित भूमि की तरमीम नही हो रही है। वरन उक्त भूमि पर राजस्व नक्शे में तरमीम नही हो रही है। वरन उक्त भूमि पर राजस्व नक्शे में तरमीम सही जगह न होकर अन्य जगह पर गलत हो रही है जो मात्र राजस्व त्रुटि है।
6. यह कि न्यायहित व राजस्व टीनेन्सी एक्ट व लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के अनुसार प्रार्थी जिस भूमि पर काबिज चला आ रहा है एवं प्रार्थी की भूमि जिस जगह पर स्थित है उसी जगह पर नक्शे की तरमीम होनी चाहिये लेकिन सेग्रीगेशन नक्शा तरमीम के समय प्रार्थी के खसरे की तरमीम गलत कर दी गई है, जिसको सही करवाने का प्रार्थी अधिकारी है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी ख0सं0 2131 / 1867 रकबा 0.8094 हैक्टैयर ग्राम देवरिया स्थित भूमि की नक्शा तरमीम सही किये जाने का आदेश प्रदान करें।

उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

Scanned with CamScanner

[illegible] प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी जरिये पेरोकार सरकार को जरिये सम्मन तलब किया [illegible]या। पेरोकार सरकार की और से जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 लगा0 4 ग्राम देवरिया प0म0 तालाब बरधा के आराजी ख0सं0 2131/1867 रकबा 0.8094 हे0 भूमि जमाबन्दी संवत् 2076 के अनुसार श्री करणी क्रेशर प्राईवेट लि0 जर्ये डायरेक्टर रोहित अग्रवाल पुत्र श्री सुरेश कुमार अग्रवाल जाति महाजन सा. जयपुर के नाम खातेदारी दर्ज है। च0सं0 5 लगा0 9 उक्त ख0नं0 को मूल नक्शा लठ्ठा मे तरमीम नही हो रही है। ऑनलाईन नक्शा में तरमीम हो रही है। ऑनलाईन नक्शा के ख0सं0 2133/1867 व ख0सं0 2132/1867 के मध्य में उक्त खसरा नम्बर की तरमीम हो रही है, जिस पर खातेदार का कब्जा नही होकर ख0नं0 2133/1867 के समीम दक्षिण दिशा में उक्त खातेदार का कब्जा है। उक्त खसरा नम्बरान के मूल ख0नं0 1867 है।

अतः ख0नं0 2133/1867 के दक्षिण दिशा में ख0नं0 2131/1867 की तरमीम किया जाना उचित है। उक्तानुसार शुद्धि प्रस्ताव सादर प्रेषित है।

साक्ष्य में प्रार्थी की और से नकल जमाबन्दी खाता सं0 218 ग्राम देवरिया संवत् 2076, खसरा नक्शा ग्राम देवरिया, की प्रतियॉ पेश की।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी खाता सं0 218 ग्राम देवरिया संवत् 2076, खसरा नक्शा ग्राम देवरिया अवलोकन किया गया एवं अप्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी प्रार्थी खातेदार का ख0नं0 2133/1867 के समीम दक्षिण दिशा में कब्जा होना बताया गया है तथा ख0नं0 2133/1867 के दक्षिण दिशा में ख0नं0 2131/1867 रकबा 0.8094 की तरमीम किया जाना स्वीकार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि ख0नं0 2133/1867 के दक्षिण दिशा में ख0नं0 2131/1867 रकबा 0.8094 की तरमीम किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेश दिया जाता है कि वर्तमान राजस्व नक्शे में कृषि भूमि ख0नं0 2133/1867 के दक्षिण दिशा में ख0नं0 2131/1867 रकबा 0.8094 की तरमीम किया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.04.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(कमल कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी (राज0)

उप खण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी (राज.)

Scanned with CamScanner